राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2062/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
संजय जैन 60 ए] श्रीराम नगर-बी] खिरणी फाटक रोड] झोटवाडा जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा (गुरप-1) विभाग, सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 02-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री भगवत सिंह, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं डॉ. प्रेमसिंह, रजिस्ट्रार, 'निम्स' विश्वविद्यालय, जयपुर उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-8-17 के द्वारा नीट स्टेट कॉन्सिलिंग राजस्थान द्वारा वर्ष 2016-17 में निम्स डेन्टल कॉलेज, जयपुर में बी.डी.एस. में प्रथम वर्ष में कितने विद्यार्थीयों को प्रवेश दिया गया, उनकी वार्षिक ट्यूशन फीस, कॉसन मनी, सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई ट्यूशन मनी आदि के सम्बन्ध में ए से ई 5 बिन्दुओं की चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 13-11-17 के द्वारा बिन्दु संख्या ए, बी, व सी से संबंधित सूचना निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उनके पत्र दिनांक 13-11-17 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या डी व ई की सूचना रजिस्ट्रार, निम्स विश्वविद्यालय से संबंधित है। उक्त बिन्दु रजिस्ट्रार, निम्स विश्वविद्यालय को सूचना प्रदान करने हेतु अन्तरित कर दिये गये थे।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 2-5-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 मे किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या डी व ई की सूचना का संबंध रजिस्ट्रार, निम्स विश्वविद्यालय है अतः राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं

रजिस्ट्रार, निम्स विश्वविद्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 19(8)(a)(ii) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह बिन्दु संख्या डी तथा ई के संबंध में स्पष्ट एवं सटीक सूचना अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त